प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनांक 30.10.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस मे वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.09.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मोनू पुत्र श्री उदयवीर निवासी ग्राम बाघू थाना व जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. आनन्द पुत्र इन्द्रराज,2.विनय उर्फ बिच्छू पुत्र श्योराज,3.अनमोल पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई अंकुर की मो0सा0 नं0 *UP-17E-3555* में अपनी गाडी सैन्ट्रो नं0 *DL-3CBP-1738* से टक्कर मार दी तथा उसके भाई अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 531/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस मे वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में पूर्व में 06 अभियुक्तों गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सतेन्द्र कुमार पुत्र सौराज सिंह निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-जनक पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री सनुज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-है0का0 551 छत्रपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-है0का0 264 वेदपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 30.10.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 381/25 धारा 115(2)/140(3) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गाडी तथा छीने हुए रूपयों में से 3000 रूपये बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29-10-2025 को थाना खेकडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.मोनू पुत्र लियाकत 2.जावेद पुत्र लियाकत 3.इरफान पुत्र नामालूम निवासीगण लाईन पार प्रेम पुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा वादिया के पुत्र अमित के साथ मारपीट की गयी तथा उसे गाड़ी मे डालकर करके ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर

के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0- 381/25 धारा 115(2)/140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 381/25 धारा 115(2)/140(3) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गाडी तथा छीने हुए रूपयों में से 3000 रूपये बरामद हुए हैं उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में बरामदगी व विवेचना/बयान के आधार पर धारा 317(2)/309(4) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मोहम्मद सुहेल उर्फ मोनू पुत्र लियाकत निवासी लाईन पार प्रेम पुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मोहम्मद जावेद पुत्र लियाकत निवासी लाईन पार प्रेम पुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-इरफान पुत्र बाबू वर्ष निवासी लाईन पार प्रेम पुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त इरफान का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 630/18 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 190/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0-381/25 धारा 115(2)/140(3)/317(2)/309(4) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक गाडी ईको नं0 UP14EL5715
- छीने हुए 4200 रूपये में से 3000 रूपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना खेकडा जिला बागपत।
2-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जिला बागपत।
3-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जिला बागपत।
4-है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकडा जिला बागपत।
5-का0 555 रवि चौधरी थाना खेकडा जिला बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 30.10.2025**

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 383/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 व 3/10 गुण्डा अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनुज उर्फ बिट्टन पुत्र राकेश निवासी मवींकला थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- **एक अवैध चाकू।**

गिरफ्तार अभियुक्त अनुज उर्फ बिट्टन का आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 85/24 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 120बी /307/34/506 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 174/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 178/24 धारा 115(2)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

4- मु0अ0सं0 383/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 व 3/10 गुण्डा अधि0 थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-का0 435 नवीन नागर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-का0 1063 संजय कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4-का0 1022 अजय प्रताप थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बडौत दिनाँक 30-10-2025

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 699/25 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा 14 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 699/25 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा 14 वर्षीय बच्चे को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 507 पवन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली , जनपद बागपत

थाना बिनौली , जनपद बागपत के द्वारा माह अक्टूबर 2025 में 02 व्यक्तियों से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखाधड़ी में कुल 90,001/- रूपये वापस कराये गये–

1-पीड़ित श्री अनुज मोधा पुत्र श्री हरनारायण मोधा नि0 ग्राम ग्वालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 33110250148064 पर 85001 रुपये खाता से कटने की शिकायत की गयी। जिसके फलस्वरुप थाना बिनौली ,जनपद बागपत द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से कटे 85001 रुपयों को वापस कराया गया।

2-पीड़िता अपेक्षा पुत्री किरणपाल निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत के द्वारा NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 23110250166490 पर 5000/- रुपये खाता से कटने की शिकायत की गयी। जिसके फलस्वरुप थाना बिनौली ,जनपद बागपत द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडिता के बैंक खाते से कटे 5000/- रुपयों को वापस कराये गये।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ितों द्वारा बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	33110250148064	85,001/-
2	बिनौली	23110250166490	5,000
		कुल	₹ 90,001/-

उत्तर प्रदेश पुलिस